विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 18.01.2016 को आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 13वीं बैठक 18.1.2016 को विज्ञान भवन , नई दिल्ली में श्री कलराज मिश्र , माननीय एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध क)।

2. बैठक एमएसएमई सचिव की स्वागत टिप्पणी के साथ शुरू हुई जिन्होंने चर्चा के दौरान यह कहा कि सार्वजनिक खरीद नीति के तहत पीएसयू द्वारा निर्धारित न्यून तम अनुभव और टर्नओवर की पूर्व शर्त के कारण स्टार्ट अप सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल में 'स्टार्टअप एक्शन प्लान ' शुरू किए जाने का उल्लेख करते हुए, उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि डीआईसी , एमएसएमई-डीआई और उद्योग संघों के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय की प्रस्तावित 'लघु उद्योग बंधु योजना ' जैसी योजनाओं के तहत स्टार्टअप को कदम-दर-कदम (हैंड होल्डिंग्ा) सहायता दिए जाने की जरूरत है।

3. माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा इस अवसर पर जनवरी 2016 का लघु उद्योग समाचार अंक का विमोचन किया गया।

4. एमएसएमई बोर्ड के उपाध्यक्ष , माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री ने अपने उदघाटन टिप्पणियों में विशिष्ट अतिथि गणों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि एमएसएमई क्षेत्र काफी हद तक माननीय प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया ' अभियान को बढ़ावा देगा। उन्होंने रोजगार एक्स□चेंज पोर्टल की शुरुआत और नए तथा मौजूदा एमएसएमई इकाइयों द्वारा ऑनलाइन उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) फाइल करने का उदाहरण देते हुए एमएसएमई मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के प्रयोग पर प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने आरबीआई और सिडबी से पीएमईजीपी, सीजीटीएमएसई, मुद्रा योजना , एस्पायर, स्माइल और अन्य एमएसएमई योजनाओं पर कार्रवाई करते समय वैयक्तिक इकाइयों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय संस्थानों को जरूरी निर्देश जारी करने और सतर्क रहने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने- अपने क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर एनएसआईसी और टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों के संचालन पर खुशी व्यक्त की।

5. बोर्ड के अध्यक्ष माननीय एमएसएमई मंत्री ने उपाध्यक्ष , सचिव, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त, सदस्यगणों, बोर्ड के विशिष्टयआमंत्रितों और अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत

करते हुए इस बात का उल्लेख किया कि अर्थव्यवस्था एमएसएमई द्वारा प्रेरित हो रही है और एमएसएमई बड़े उद्योगों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तथा देश के विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पिछली बैठक में आने वाले सुझावों जैसे एमएसएमई के पंजीकरण और निर्धारित समय के भीतर एमएसएमई की योजनाओं के कार्यान्वयन को पूरी गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया ' विजन में एमएसएमई विनिर्माण के महत्व पर बल दिया। उनके अनुसार , उत्पाद को 'जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट' श्रेणी में लाने के लिए विनिर्माण उत्कृष्टता को अधिक गुणात्मक और इनोवेटिव होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि 16.1.2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल में शुरू 'स्टार्टअप एक्शन प्लान' नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मुद्दों को हल करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय की कार्य-योजना के साथ परस्पर संबंधित है। उन्होंने खास तौर पर अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बैंकों के माध्यम से वित्तपोषण हेतु आगामी नई योजना 'स्टैंडअप इंडिया' पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने एमएसएमई अनुकूल बैंकिंग क्षेत्र और कौशल विकास तथा उद्यमिता पर निरंतर बल देने की आवश्यकता पर जोर दिया । उन्होंने क्लस्टर विकास , सार्वजनिक खरीद नीति , डिफेंस ऑफसेट नीति, डिजिटल रोजगार एक्सचेंज और नवीन स्फूर्ति योजना की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने नई एस्पायर योजना के बारे में भी सभी को जानकारी दी जिसके तहत बुनियादी स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय केंद्रित लाइवलिहुड इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर एक पृष्ठि के ऑनलाइन उद्योग आधार ज्ञापन के महत्व पर जोर दिया जिसके तहत 18.9.2015 को शुरू होने के बाद से 1.50 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। इसने व्यवसाय करने की आसानी को नए क्षितिज तक पहुंचा दिया है। उन्होंने एमएसमएई के अधिकारियों से कुशल जनशक्ति पर डाटाबेस रखने की भी सलाह दी, जिसे एमएसएमई मंत्रालय के कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारा बनाया गया है।

6. सचिव (एमएसमएई) ने बोर्ड के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए 10.07.2015 को आयोजित एमएसमएई बोर्ड की 12वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने का अनुरोध किया। कार्यवृत्त की, की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों (एटीआर) में सदस्यों के विचारों के अधिक व्यापक जांच के अध्यधीन पुष्टि की गई। तत्पश्चात सचिव, एमएसमएई ने सभी सदस्यों और विशेष आमंत्रितों से सटीक और केंद्रित रूप में कार्यसूची मदों पर अपने विचार रखने का अनुरोध किया।

7. माननीय उद्योग मंत्री , मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि 2015 में विश्व बैंक द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के अनुसार व्यवसाय करने की आसानी में राज्य को 5वें स्थान पर

रखा गया है, जिसमें राज्य में व्यवसाय करने के लिए 85 लाइसेंसों/अनुमोदनों में से 74 को ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) की कामयाबी की सराहना की और राज्य विशिष्ट यूएएम वेब पोर्टल प्रदान करते हुए उसे और बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसमएई) और राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) को रूचि प्रदर्शित करने वाले राज्यों में पूर्व- यूएएम क्रियाप्रणाली विकसित करने में मदद करने का अधिदेश दिया जाए और नए यूएएम प्रणाली के मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध किया जो बहु-विध उत्पाद पंजीकरण की अनुमति नहीं देता। उन्हों ने अनुरोध किया कि पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण की उच्चतम सीमा को संशोधित करके 50 लाख रुपये किया जाए और उसे सीजीटीएमएसई के तहत कवर किया जाए। सार्वजनिक खरीद नीति पर उन्होंने अनुरोध किया कि मूल्यांकन के उद्देश्य से राज्य के सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बोलियों को सारणीबद्ध करते हुए उद्यमों द्वारा उद्धृत दरों से वैट का तत्व हटा दिया जाए जबकि दूसरे राज्यों के उद्यमों के दरों में सीएसटी का तत्व शामिल किया जाए। स्फूर्ति योजना पर उन्होंने सुझाव दिया कि प्रोफेशनल और समयबद्ध कार्यान्वयन तथा कार्यक्रम की नियमित निगरानी के लिए और उक्त उद्देश्य के लिए दी जाने वाली कुल परियोजना लागत के 8-10 फीसदी अतिरिक्त बजट की अनुमति देने के लिए विशेषज्ञ परामर्श सेवाओं को पारिश्रमिक पर तैनात करने का प्रावधान होना चाहिए। एमएसई-सीडीपी क्षेत्र में उन्होंने योजना के कार्यान्वयन पर दो सुझाव दिए , अर्थात (i) परियोजनाओं को अनुमति देने के लिए एसाइड मॉडल पर राज्यों में अधिकार प्राप्त समिति गठित करना और (ii) एसाइड पैटर्न पर राज्यों को वार्षिक आवंटन नियत करना। डिफेंस ऑफसेट नीति के क्षेत्र में , उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह समान अवसर सु निश्चित करने के लिए एमएसएमई इकाइयों के लिए सक्रिय रूप से डिफेंस खरीद का ऑफसेट आकर्षित करे।

8. माननीय उद्योग मंत्री, ओड़िसा सरकार ने इंगित किया कि ओड़िसा एक खनिज और वन समृद्ध राज्य है और हाल के दिनों में वह देश में एक शैक्षिक केंद्र के रूप में उभरा है , इसलिए राज्य में प्रौद्योगिकीय व्यवसाय इन्क्यूबेटर केंद्रों की स्थापना की बड़ी संभावना है। उन्होंने उद्यमिता विकास संस्थान , ओड़िसा (आईईडीओ) को भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता और प्रबंधन विकास संस्थान (एनआईईएमडी) में बदलने का अनुरोध किया, जिस प्रस्ताव को पहले ही भारत सरकार को भेजा जा चुका है। उन्होंने ओड़िसा में एक बौद्धिक संपदा सुविधा प्रकोष्ठ (आईपीएफसी) की स्थापना करने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने एमएसईर के लिए डीएसआर तथा सीडीपी योजना के तहत पहल रसोगोला क्लह-र के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया। उन्होंने डीएसआर के अनुमोदन के लिए तथा परियोजनाओं के अनुमोदन और निगरानी के लिए सचिव रीय संचालन समिति क्षता में एक राज्य की अध्यम (एमएसएमई) पना के लिए करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाले सीएफसी की स्थाष 5 द्वाराराज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया कि एनएमसीपी की योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार के निकायों जैसे डीआईसी ओडिसा लघु उद्योग निगम/आईईडी/ म से किया जाए। माननीय मंत्री जी ने डीआईसी के आधुनिकीकरण सहित लिमिटेड के माध्य सिंगल विंडो क्लियरेंस को लागू करने के लिए अधिकारियों की क्षमता निर्माण करने का अनुरोध किया। उन्होंने अवसंरचना विकास जैसे एमएसएमई क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए प्लोग एण्डवप्ले सुविधाओं सहित मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए समर्थन का अनुरोध किया। पीएमईजीपी योजना के बेहतर कार्यान्वेयन के लिए उन्होंने अनुरोध किया कि केवीआईसी राज्य कार्यालयों में जिला स्तर पर पर्याप्त श्रम शक्ति के अभाव तथा सीमित पहुँच वाले क्षेत्रों में राज्य उद्योग निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया जाए।

9. माननीय एमएसएमई मंत्री (प्रभारी), मणिपुर ने 'मेक इन मणिपुर' पहल की लोकप्रियता का उल्लेख किया जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया विजन के अनुरूप है। उन्होंने राज्य में योजना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों विशेषकर भारत सरकार की एमएसई सीडीपी- यर योजना के क्षेत्र में अनुमोदन की योजना तथा एस्पा के लिए एमएसएमई मंत्रालय का धन्यवाद भी किया।

10. श्री राहुल कासवान, माननीय संसद सदस्य ने पीएमकेवीवाई योजना के उचित (लोकसभा) एमएसएमई यन ना होने तथा एमएसएमई के विकास के लिए बने विभिन्न कार्यान्व ध में तय के अभाव के सम्बंध एजेंसियों के बीच समन्व/कार्यालयों था राजस्थान राज्य में उनकी गतिविधियों के संबंध में चिंता व्यक्त की। उन्होंने मुद्रा योजना के तहत डाटाबेस की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि इस योजना की वास्तविक स्थिति का उचित रूप से मूल्यांकन किया जा सके और आगे का इनपुट दिया जा सके। उन्होंने एमएसएमई को तथा विशेष रूप से उदीयमान उद्यमों के लिए वित्त की आसानी से उपलब्धता के सम्बंध में चिंता व्यक्त की।

11. सिडबी के अध्यक्ष तथा प्रबंधन निदेशक ने आगामी दिनों में विकसित किए जाने वाले वित्तीय समावेशन की संभावित प्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि वित्तीय संस्थान विभिन्न साधनों जैसे कि आधार नंबर, क्रिसिल एमएसएमई परियोजनाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग आदि को/ अपनाकर साझा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म अपनाने वाले हैं, जिसमें संभावित विद्यमान सूक्ष्म/सक्षम/,

लघु और मध्यम उद्यम समान आवेदन प्रपत्र के माध्य म से लॉग इन कर सकें, जिसमें उनकी ओर से बैंकों के चयन की प्राथमिकता हो तथा यदि कोई बैंक न अपनी ओर से संस्थाविततील / म से टफार्म के माध्यं पोषण करना चाहता है तो वे उसी प्ले किसी परियोजना के लिए वित्ता उद्यमियोंसे भी सम्पोर्क कर सकते हैं। उन्हों ने आशा व्याक्तकी कि एक बार इलैक्ट्रोनिक प्लेटफार्म कार्यात्मक हो जाने पर एमएसएमई योजनाओं से सम्बंधित अधिकांश मुद्दे हल हो जाएंगे। उन्होंने बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से बिजनेस का लेन देन ना होने के मुद्दे पर भी ध्याल- होने का पता नहीं लगाया दिया जिसके कारण ऋण के योग्यै जा सकता है। उन्होंने एमएसएमई से अनुरोध किया कि वे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से बिजनेस करें, ताकि उनका ऋण संबंधी रिकार्ड बन सके, जिसके ना होने पर बैंक अधिक सहायता नहीं दे पाते हैं। उन्होंने इस प्लेटफार्म पर एमएसएमई के लेनदेन की हिस्ट्री बनाने का भी प्रस्ताव किया जिससे उनकी ऋण पात्रता का मूल्यांकन किया जा सके, जो उनकी भावी वित्तीय सहायता के लिए फायदेमंद होगी।

12. भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्या महाप्रबंधक ने सूचित किया कि ऋण की स्वीकृति प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने सूचित किया कि नियमित आधार पर शाखा प्रबंधक के स्तंर तक के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण प्रारम्भि किया गया था, जिसमें विशेषज्ञ प्रशिक्षकों, उद्योग संघों तथा उत्कृष्टर उद्योगों को इस चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था कि एमएसएमई मंत्रालय की विभिन्नय वित्तीय योजनाओं के तहत ऋण सुविधाओं के विस्तार में बेहतर परिणाम कैसे हासिल किए जाएं। उन्होंने सूचित किया कि वाणिज्यिक बैंकों के से 1000 अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गयाहै तथा बेहतर परिणाम के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। यह भी सुझाव दिया गया था कि डीआईसी को उद्यमियों को बैंक योग्यप्रस्तावों की पहचान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे वे औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इच्छाए व्योक्त की गई थी कि सेंट्रल लेवल ट्रस्टस्थापित करके ग्रामीण स्वरका पुनरूत्था (आरएसईटीआई) रोजगार प्रशिक्षण संस्थाे- कता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि ने यकरने की आवश्यलभी सुझाव दिया कि देश में क्लेस्टरों का समग्र सर्वेक्षण होना चाहिए जो काफी समय से नहीं किया गया है।

13. अध्यक्ष जाहिर की और अनुरोधपर चिन्ताल भुगतान की समस्याने विलम्बि (एआईएमए) त भुगतान के समय पर निपटान की निगरानी के लिए एक सुविधा केन्द्रकिया कि विलम्बिट र पर निजी क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए निजी क्षेत्र हेय स्तीपित किया जाए। केन्द्रीस्थातु एक समिति स्थापित करने के लिए भी उन्होंने अनुरोध किया।

14. महानिदेशक इंडिया एसएमई)फोरमपक बनाने पीएमईजीपी को व्याक (, पीपीपी मॉडल के तहत ग्रामीण और अर्धशहरी भारत में फ्लैटेड इंडस्ट्रीयल एवं इनक्यूबेशन कॉम्प्लेक्सोंकी

स्थापना, स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों का विकास , विनिर्दिष्टलअंतर्राष्ट्रीय बिजनेस टू बिजनेस तथा बिजनेस टू कस्टूमर उत्स्वों के लिए कन्ट्रीज पेवेलियन आयोजित करने तथा राष्ट्रीक्य स्तर पर मंत्रालय द्वारा संघों और उद्योग संगठनों के साथ प्रदर्शनियों की मेजबानी , एमएसई एनपीए के लिए एमनेस्टीास्कीम प्रारम्भा करने तथा एमएसएमई मंत्रालय के मुद्दों , योजना, निगरानी और कार्यान्व्यन सम्बंधी पहल का पता लगाने के लिए एक उच्चमस्तेरीय कार्यबल समिति का गठन/ करनेका भी सुझाव दिया।

15. अध्यक्ष ने फ्लैट (अवेक)ेड इंडस्ट्रीयल कॉम्प लेक्सों के प्रस्तावों का समर्थन किया तथा सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में सहभागिता के लिए प्रतिपूर्ति के स्थापन पर एमडीए योजना के तहत स्टारल के प्रभार के लिए अपफ्रंट भुगतान का प्रावधान होना चाहिए। उन्हों ने अनुरोध किया कि महिला उद्यमियों के लिए सॉफ्ट ऋण की योजना प्रारम्भत की जाए , जिसमें उद्यमिता विकास संस्थाओं 1 पना के लिए की स्थाम (ईडीआई). करोड़ रुपए की अधिकतम 50 य सीमा होवित्तीत

16. अध्यक्ष पना की स्था सुविधा केन्द्रों में सामान्य स्ट ने सलाह दी कि क्ल (ईआईसीडब्यून) सहित ग्राम स्तर पर विनिर्माण हब संकल्पड ना पर ध्यान केन्द्रीत करने की आवश्यउकता है। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के संबंध में बेहतर जागरूकता उत्पक न्नतकरने का अनुरोध किया ताकि उन्हेंम आधारभूत स्तओ पर प्रभावी रूप से कार्यान्विसत किया जा सके तथा महिला उद्यमियों का डाटाबेस विकसित किया जा सके। उन्होंभ ने यूनिटों रों की बिजलीटतक्ल/ व पॉवर यूनिट के सृजन/र पर केप्टि कताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण स्तरधी आवश्यंसम्बं हित करने का भी सुझाव दियाको प्रोत्साि

17. अध्यक्ष ने मंत्रालय से अपील की कि एमएसएमई क (एपीजे)े सम्बू न्धित योजनाओं र पर शामिल ल पाठ्यक्रम विशेष रूप से नौंवीं और दसवीं के स्तप्रावधानों को स्कूु/ र परस्तर डअप इंडिया के क्षेत्र में उपयुक्तत र्टअप और स्टैंकरने का प्रयास किया जाए तथा स्टाक ने सुझाव दिया किजागरूकता सृजित की जाए। उन्होंटचूंकि एमएसएमई से सम्बन्धित मुद्दों की प्रकृति इंटर रल है तथा यह वांछनीय है कि इन मुद्दों को हल करने के लिए प्रधानमंत्री जीक्टोा- क्षताकी अध्य में एक अंतर मंत्रालयी उच्चा शक्ति संपन्ननकार्यबल होना चाहिए। उनके अनुसार सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए हैण्डहोल्डिंग समर्थन सृजित किए जाने की भी आवश्य कता है ताकि उनके लिए बिजनेस करने के अनुकूल माहौल का निर्माण किया जा सके।

18. अध्यक्ष र पर इन योजनाओं को सुझाव दिया कि आधारभूत स्तन (भारतीय मजदूर संघ) पक प्रचार होना चाहिए और तदनुसार सफलता की कहानियों को प्राथमिकता के आव्याधार पर

प्रकाशित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि नए सूक्ष्मऔर लघु उद्यमों के लिए समर्थन हेतु सरकार को उनके उत्पाद वर्ष तक खरीदने चाहिए। 4 से 3

19. रजनीश गोयनका, विशेष आमंत्रित ने कहा कि सूक्ष्मन क्षेत्र को एमएसएमई क्षेत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक बीमा योजना प्रारम्भजकरने की आवश्यकता है। उन्होंने लघु उद्यमी चैनेल का निर्माण कर बेहतर जागरूकता सृजन और एमएसएमई स्की मों के पारदर्शी कार्यान्वयन की भी मांग की। उन्होंने भारत में एमएसएमई विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी अनुरोध किया।

20. अध्यक्ष ई क्षेत्र में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण एमएसएमईने चेन्न (टीएएनएसटीआईए))14000 लगभगय को हुई भारी क्षति के बारे में सूचित किया और राहत के लिए राष्ट्री (और राज्य4आपदा निधि के तहत एमएसएमई को शामिल करने का अनुरोध किया।

21. अध्यक्ष 2015 ने वर्ष (डीआईसीसीआई)- के लिए एमएसएमई मंत्रालय के तहत 16 एससीएसपी और टीएसपीके प्रावधानों के परिणामों के आकलन करने का अनुरोध किया। उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचि त जाति अनुसूचित जनजाति के लिए/अंबेडकर डिजिटल योजना आरंभ करने का अनुरोध किया। एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वे यन का अनुरोध करते हुए उन्होंने एक समिति गठित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

22. अध्यक्ष ने विशेष रूप से एमएसएमई के लिए अलग निविदा (एएसएमकेआई), स्टार्ट अप नीति के अनुरूप प्रवेश बाधा ओं को दूर करने और एमएसएमई समिति की स्थाप पना करने का अनुरोध किया जिसमें एमएसएमई के लिए विशिष्ट स्कीमों वाले भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हों।

23. अध्यक्ष एवं संस्थापक 2 ने भारत में (वॉच-आई).लाख प्रशिक्षुओं की सूची तैयार करने 5 का सुझाव दिया और केन्द्रीय सरकार के एमएसएमई संबंधी वेबसाइट का सभी आधिकारिक 22 भाषाओं में अनुवाद कराने का अनुरोध किया।

24. डॉ अजय नारंग, विशेष आमंत्रिती ने देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए 'व्यवसाय करने की सरलता' संबंधी इंडेक्स। सृजित करने का सुझाव दिया । उन्होंने इस क्षेत्र में सभी अपंजीकृत इकाइयों को पंजीकृत करने और स्थासना, संचालन, विविधीकरण , पुनर्वास , निर्गमन आदि से

संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए भारत सरकार और राज्यि सरकारों व संघ राज्यरक्षेत्रों के अन्य सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया।

25. अध्यक्ष म के तहत लाभार्थियों के लिए ने कहा कि सीएलसीएसएस स्की (केएएसएसआईए) प्रक्रिया सरल बनाई जानी चाहिए और विलंब को दूर करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा सकती है। इसके अलावाअधिकतम सीमा को की .करोड़ रु 5 से बढ़ाकर .करोड़ रु 1 जानी चाहिए। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उन्होंने सीमा को करोड़ 3 से बढ़ाकर .करोड़ रु 1 करने और इस क्षेत्र की बढती क्रेडिट मांगों को पूरा करने के लिए सीजीटीएमएसई निधि को .रु 10 बढ़ाकर कम से कम, ने यह भी सुझाव दिया करने का भी अनुरोध किया। उन्होंब .करोड़ रु 000 75 कृत सीमाओं काकि सीजीएस के तहत गारंटी कवर संस्वी- प्रतिशत किया जाना चाहिए। 80

26. दिनेश राय (पूर्व सचिव एमएसएमई), विशेष आमंत्रिती, ने यह विचार व्याक्तरकिया कि स्टार्टअप और मौजूदा इकाइयों को इकाइयां स्थापित करने और विस्तांर करने के लिए भूमि की आवश्यकता है और इसलिए राज्यइ सरकारों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूखंड आबंटित करने का अनुरोध किया जाए। उन्होंने उन जमीन प्राप्त करनेवालों पर दंड लगाने का भी प्रस्ताव किया जो समय पर अपना उद्यम आरंभ नहीं करते हैं या गैर उद्यमीय कार्यों के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। सार्वजनिक खरीद नीति के तहत उन्होंय ने अधिक मॉनीटरिंग पर जोर दिया। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय और अन्यं संबंधित विभागों के तहत विभिन्न। प्रक्रियाओं के सरलीकरण का भी अनुरोध किया।

27. सह अध्यक्ष ने कारोबार सीमाओं का संज्ञान लेते हुए (एसोचैम), आईएफसी को अधिक कारगर बनाते हुए और छोटे क्लस्टरों के संवर्धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्पाद शुल्करमें छूट की सीमा 1. 10 करने और सेवा कर की सीमा .करोड़ रु 5 से .करोड़ रु 5लाख रु . करने की मांग की। .लाख रु 20 से बढ़ाकर

28. अध्यक्ष, अखिल भारतीय लघु और सूक्ष्मवउद्योग संघों के परिसंघ (एआईसीआएसएमआईए) दों की खरीद किए जाने को सरकार द्वारा कृषि उपज की खरीद की तर्ज पर एमएसएमई उत्पाघ ने उद्योग संघों के माध्यम अनुरोध किया। उन्होंने से जमीनी स्तर पर एमएसएमई के लिए और अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया।

29. अध्यक्ष फि)क्की मों के तहत स्कीम ने अनुरोध किया कि मंत्रालय की विभिन्नआ (सीएमएसएमई- सफलता की कहानियों के प्रलेखन को बोर्ड की बैठक की कार्यसूची का एक मद बनाया जाए।

उन्होंने यूएएम को अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत एसएमई के लिए कम से कम फैक्ट्रीक लाइसेंस के समतुल्य मानने का भी अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि स्टार्ट अप को अपने प्रचालन के कम से कम ने पीएम वर्षों तक सभी अनुपालनों से छूट दी जाए। उन्होंने 5ईजीपी, सीजीटीएमएसई और सीएलसीएसएस स्कीम की सीमा को बढ़ाने का भी अनुरोध किया ।

30. शिशिर कुमार पोद्दार , विशेष आमंत्रिती, ने पहले ही स्थापित इकाइयों के लिए रन एंड फ्लाई इंडिया योजना की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने एमएसएमई के सहयोग और विकास के लिए सरकारी राजस्व के एक भाग के आवंटन का अनुरोध किया। उन्होंने कम उद्योगों वाले जिलों में एमएसएमई के लिए विशेष पैकेज का भी सुझाव दिया। उन्होंने एमएसएमई नीति कार्यान्वयन के लिए वर्किंग ग्रुप के गठन का भी अनुरोध किया।

31. अध्यक्ष एसएमई चैप्टर), सीआईआई ने सीमा (शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट की सीमा को कम करने का अनुरोध किया। उन्होंने विलंबित भुगतान के मुद्दे को भी उठाया।

32. उपाध्यक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग और वाणिज्य संघ परिसंघ ने पूर्वोत्तन (एफआईएनईआर) त की जानेवाली सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यान्विक खरीद नीति की उचित मॉनीटरिंग की मांग की। उन्होंने विलंबित भुगतान के मामलों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमईडी अधिनियम , के 2006 र क्षेत्र के लिए एमएसएमई पर प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर अनुपालन का भी अनुरोध किया। उन्होंने सख्तो कार्य बल की तर्ज पर एक नए कार्य बल के गठन का भी सुझाव दिया। उन्होंने एमएसएमई की बेहतरी के लिए एनईआईआईपी के निरस्ती करण को पुनर्बहाल करने और एनपीए के साथ एमएसएमई के लिए एम्नेस्टी स्कीम की मांग की।

33. स्वाति शर्मा, विशेष आमंत्रिती , ने भावी और संभावित उद्यमियों के लिए उपलब्ध कौशल के घर पना पर बल दिया।घर सर्वेक्षण के आधार पर गृह आधारित उद्यमों की स्था-

34. अध्यक्ष करते हुए व्यापक मामले की व्याय र्ट अप्से एसईजेड और स्टा (पीएचडीसीसीआई) एमएटी के मद के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की और एमएसएमई के लिए आय कर से छूट की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया।

35. अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि एक सीमित अवधि (टीएमआई ग्रुप) के लिए एमएसएमई के लिए मजदूरी कौशल प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

36. अनिल गुप्ता,विशेष आमंत्रिती, ने अनुरोध किया कि और अधिक जटिलताओं से बचने के लिए यूएएम में एक बार में सभी विभागों में पंजीकृत की जानेवाली सभी अपेक्षित सूचना शामिल की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी लीजहोल्डप भूमि को फ्रीहोल्डकमें बदला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि श्रम लाभ प्राप्ती करने के लिए जीएसटी में एक श्रम सामाजिक कल्याण उपकर शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी कामगारों के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली और एमएसएमई के लिए केंद्रीय वेब आधारित वित्तीय प्रणाली शुरू करने का सुझाव दिया।

37. अध्यंक्ष ने कोय (सीओडीआईएसएसआईए)ंबतूर में प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने / प्रौद्योगिकी केंद्र का विस्ताककरने का अनुरोध किया। डिफेंस ऑफसेट नीति के तहत उन्होंने सुझाव दिया कि अलग अलग इकाइयों को मिलनेवाले ऑफसेट-का लाभ प्राप्तऑकरने के लिए एमएसएमई संघ के स्पे शल परपज व्ही कल पर विचार किया जाए (एसपीवी)। उन्होंने ऑनलाइन यूयूएएम पंजीकरण प्रणाली पर संपादन करने की सुविधाओं का भी अनुरोध किया।

38. राजेश कुमार शर्मा , विशेष आमंत्रिती ने इच्छा व्यक्त की कि एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों के बारे में बेहतर जागरूकता की आवश्यकता है।

39. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल, विशेष आमंत्रिती ने सुझाव दिया कि औद्योगिक रूप से पिछडे जिलों में एमएसएमई योजनाओं के संवर्धन तथा इसकी जागरूकता के लिए एनजीओ और बड़े उद्योगों का सहयोग लेने पर विचार किया जाए।

40. श्री अमित गुप्ता, विशेष आमंत्रिती, ने सुझाव दिया कि जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से यूएएम को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य सरकारों को शामिल किया जाए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि नगदी अंतरण की सीमा को प्रति अंतरण 100000/- रु तक .तथा प्रति अंतरण सीमा को 300000/- रु. तक बढ़ाया जाए। कराधान के मामलों पर, उन्होंने अनुरोध किया कि सेवाएँ सामान्य प्रभार प्रणाली पर प्रदान की जाएं अर्थात सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं सेवा प्रभार प्राप्ता कर जमा करना तथा रिटर्न भरना चाहिए।

41. अध्यक्ष (आईआईए), ने अनुरोध किया कि पुनरावृत्तिपको रोकने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को एमएसएमई के सभी तरह के पंजीकरणों को यूएएम के ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ना चाहिए। डिफेन्स ऑफसेट नीति के तहत एमएसएमई से कम से कम प्रतिशत खरीद होनी 20 चाहिए।सिडबी द्वारा कार्यान्विइन की जा रही इक्वि टी समर्थन स्कीम के तहत आगामी केंद्रीय बजट में विनिर्माण ईकाइयों के लिए अलग से निधि निर्धारित की जाए।

42. अध्यक्ष ने विचार प्रकट (एलयूबी)किया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुद्रा योजना शुरू करना सूक्ष्मिईकाइयों की स्थापना के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, परन्तु इस तरह की स्कीमों के विकास पर इन स्कीमों के लिए निर्धारित ब्याज दर से प्रतिकूल असर पड़ेगा क्योंकि इस तरह की स्कीमों के लिए कम ब्याज दरों की जरूरत है। उन्होंने कम ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता, ऋण आवेदनों के त्वरित निपटान, कोलेटरल मुक्त ऋण और मौजूदा स्कीमों के सख्त अनुपालन पर सरकार की भूमिका पर जोर दिया। ये 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है।

43. अध्यक्ष ने स्टार्ट अप इंडिया मिशन (एमसीसीसीसीआई), स्वरोजगार योजनाओं , सीजीटीएमएसई, मुद्रा, ट्विटर एवं फेसबुक और उद्यमी हेल्पलाइन , स्किल इंडिया जैसे इंटरएक्टिव इंटरफेस के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँच को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए एमएसएमई को उत्प्रेरक बनाने के उद्देश्य से ग्राम एवं खादी उद्योग पर बल देने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने एसएमई उत्पादों की ब्रां डिंग और मार्केटिंग 'मेड इन इंड़िया' लेबल के तहत करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने सब्सिडी प्रक्रिया , वित्त पोषण की सुविधा के बेहतर डिलीवरी सिस्टम पर जोर दिया तथा कौशल विकास एवं संसाधन जुटाने पर पुन :ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया।

44. श्री राज कुमार लोहिया, विशेष आमंत्रिती ने भारतीय बाजार में चीनी उत्पादों की उपलब्धता के मुद्दे को उठाया तथा उनसे प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र के लिए फ्रेट इक्विलाइजेशन स्कीम के कार्यान्वयन की आवश्यकता के मुद्दे को भी उठाया।

45. श्री अतुल मुखी, विशेष आमंत्रिती ने एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं को बेहतर ढंग से लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न विभागों के पोर्टलों के उपयोग के साथ एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं सम्बंधित जागरूकता कार्यान्वयन के मुद्दे को उठाया।/

बैठक अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

*****

अनुबंध - क

दिनांक 18.01.को विज्ञान भवन 2016, हाल संख्या-4, नई दिल्ली, में आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की (-:सूची

1. श्री कलराज मिश्र, माननीय केन्द्रीय मंत्री अध्यक्ष/(एमएसएमई), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई। (

2. श्री गिरीराज सिंह, माननीय राज्य मंत्री उपाध्यक्ष/(एमएसएमई), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई । (

3. श्रीमति यशोधरा राजे सिंधिया, माननीया प्रभारी मंत्री, एमएसएमई, मध्य प्रदेश राज्य।

4. श्री गोविन्दास कोन्थोउजाम, माननीय प्रभारी मंत्री, एमएसएमई, मणीपुर राज्य।

5. श्री जोगेन्द्र बेहरा, प्रभारी मंत्री एमएसएमई, ओडिसा, राज्य।

6. श्री राहुल कासवान, माननीय सांसद (लोकसभा।(

7. डाअनूप कुमार पुजारी ., सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, नई दिल्ली।

8. श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त(एमएसएमई), सदस्य सचिव राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई। (

9. श्री सतीश कुमार, विशेष सचिव (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्री के वैयक्तिव सचिव, प्रभारी मंत्रीएमएसएमई -, उत्तरप्रदेश सरकार के प्रतिनिधि।

10. श्री दिलीप गट्टे, माननीय प्रभारी मंत्री एमएसएमई महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि।-

11. श्री कुलदीप सिंह ठाकुर, सहायक रेजिडेंट कमिश्नर) अंडमान निकोबार -संघ शासित क्षेत्र (के राज्यपाल के प्रतिनिधि।

12. श्री मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि।

13. श्री चंचल सीसरकार ., निदेशकआर्थिक कार्य-, विभाग, वित्त मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि।

14. श्रीमती ऋतु जैन, निदेशक, सचिव, डीआईपीपी, के प्रतिनिधि, नई दिल्ली।

15. श्री विनीत शर्मा , निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव के प्रतिनिधि , नई दिल्ली।

16. श्रीमती माधवी शर्मामुंबई । ,भारतीय रिजर्व बैंक ,महाप्रबंधक मुख्यं ,

17. डॉ. के .शिवाजी , सीएमडी, सिडबी, मुंबई।

18. डॉ. एस. सरावनावेल, सीजीएम, नाबार्ड, मुंबई।

19. डॉ. अविनाश के दलाल (नल्लावाला), राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय एमएसएमई संघ (एआईएमए), मुंबई।

20. श्री नलिन कोहली , अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ स्मॉ ल एंड मीडियम नॉलेज इंडस्ट्री ज (एएसएमकेआई), नई दिल्ली।

21. श्री ऋषभ कोठारी, अध्यक्ष, एमसीसी चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीं, कोलकाता।

22. श्री ओ.पी. मित्तल, महासचिव, लघु उद्योग भारती, नई दिल्ली।

23. श्री सुदर्शन सरीन , राष्ट्रीय अध्य्क्ष, अखिल भारतीय लघु व सूक्ष्म् उद्योग परिसंघ , नई दिल्ली।

24. श्रीमती सुषमा मोरथानिया, महानिदेशक, इंडिया एसएमई फोरम, मुंबई।

25. श्री अमित कुमार जैन, उपाध्यक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र वाणिज्यी एवं उद्योग परिसंघ, गुवाहाटी।

26. श्री मुथुस्वामी सी., अध्यिक्ष, तमिलनाडु स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चेन्नई।

27. श्री मिलिंद काम्बैले, अध्यक्ष, डीआईसीसीआई, पुणे।

28. श्री मांगुईरिश पाई रैकर, सह-अध्यक्ष, एसएमई चैप्टूर, एसोचैम, नई दिल्लीग

29. श्री ई .के.पुन्नुस्वा्मी, अध्यक्ष, कोयंबटूर जिला लघु उद्योग संघ (कोडेसिया), कोयंबटूर।

30. श्री अशोक सैगल, अध्यक्ष, एसएमई चैप्टीर, सीआईआई, नई दिल्लीम

31. श्री संजय भाटिया, अध्यक्ष, एसएमई चैप्टस, एफआईसीसीआई, नई दिल्लीम

32. श्री विश्वभन्नाथ, अध्यक्ष, एसएमई चैप्टैर, पीएचडीसीसीआई, नई दिल्लीम

33. श्री वीदीक्षित.के., अध्यक्ष, कर्नाटक लघु उद्योग संघ (केएएसएसआईए), बंगलुरू।

34. श्रीमती ज्योति बालकृष्णि, अध्यक्ष, कर्नाटक महिला उद्यम संघ (एडब्यू।एकेई) बंगलुरू।

35. श्रीमती शशि सिंह , अध्यक्ष, कंसोर्टियम ऑफ विमेन आन्त्रे प्रेन्युर्स ऑफ इंडिया (सीडब्यूअईआई) नई दिल्लीि

36. श्री टीहैदराबाद । ,टीएमआई ग्रुप ,क्षअध्य ,मुरलीधरन .

37. श्री मनीष गोयल, राष्ट्रीय प्रतिनिधि, आईआईए ।

38. श्रीमती सुषमा पॉल बे रलिया और एपीजे सत्यार ,क्षप्रोमोटर एवं अध्या-को ,स्वर्मा ग्रुप , गुडगांव ।

39. श्री कृष्णषखन्नाम्बई ,वाच-आई ,चेयरमैन एवं फाउंडर ,

40. श्री बैज नाथ राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ,परगना । 24

विशेष आमंत्रितगण:

41. श्री दिनेश रॉय, नोएडा ।

42. श्री अनिल गुप्तालखनऊ । ,

43. श्रीमती मंजुला मिश्राग्रेटर नोएडा ,

44. श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल ।

45. श्री रजनीश गोयनका।

46. श्री शिशिर कुमार पोद्दार, रांची।

47. श्री राजेश कुमार शर्मा, हमीरपुर।

48. श्रीमती स्वाप्ति शर्मा, रायपुर।

49. श्री अमित गुप्ता्लखनऊ।

50. श्री ज्योप्ति प्रकाश जैसवाल ।

51. श्री अतुल मुखी

52. डॉ अजय नारंग .

53. श्री मुकेश मोहन गुप्तार

54. श्री राजकुमार लोहिया

एमएसएमई मंत्रालय तथा विकास आयुक्तु कार्यालय के अधिकारी भी इस बैठक में (एमएसएमई) त रहेउपस्थिई